राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम, 1955

(1955 का अधिनियम संख्या 8)

(मूल अधिनियम राजस्थान राज-पत्र भाग 4 (क), दिनांक 3 सितम्बर, 1955 में प्रकाशित)

धारा-क्रम


| धारा | **प्रारम्भिक** | पृष्ठ स |
|---|---|---|
| 1 | संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ | 1 |
| 2 | निरसन | 1 |
| 3 | साधारण खण्ड अधिनियम 1997 के प्रति निर्देश | 2 |
| 4 | लागू होना | 2 |
| | **अधिनियम के साधारण नियम** | |
| 5 | राजस्थान विधियों का प्रवर्तन में आना | 2 |
| 6 | निरसन का प्रभाव | 3 |
| 7 | पाठीय संशोधन करने वाली विधियों का निरसन | 3 |
| 8 | निरसित अधिनियमितियों का पुनरूज्जीवित होना | 4 |
| 9 | निरसित अधिनियमितियों के प्रति किए गए निर्देशों का अर्थान्वयन | 4 |
| 10 | समय का प्रारम्भ और पर्यवसान | 4 |
| 11 | समय की संगणना | 4 |
| 12 | दूरी की माप | 4 |
| 13 | शुल्क का अनुपातत: लिया जाना | 4 |
| 14 | लिंग और वचन | 4 |
| | **शक्तिया और कृत्यकारी** | |
| 15 | शक्ति का कर्तव्य का समय समय पर प्रयोक्तव्य होना | 5 |

| | | |
|---|---|---|
| 16 | पद के अस्थायी धारक द्वारा शक्ति का प्रयोग और कर्तव्य का पालन | 5 |
| 17 | नियुक्ति करने की शक्ति के अन्तर्गत पदेन नियुक्त करने की शक्ति होना | 5 |
| 18 | नियुक्ति करने की शक्ति के अन्तर्गत निलम्बित करने हटाने या पदयुक्त करने की शक्ति का होना | 5 |
| 19 | कृत्यकारियों का प्रतिस्थपन | 5 |
| 20 | उत्तरवर्ती | 5 |
| 21 | कार्यालय के मुख्य और अधीनस्थ | 5 |
| **अधिनियमितियों के अधीन निकाली गई अधिसूचनाओं, किए गए आदेशों या बनाए गए नियमों आदि के बारे में उपबन्ध** | | |
| 22 | अधिनियमितियों के अधीन निकाली गई अधिसूचनाओं, किये गये आदेशों आदि का अर्थान्वयन | 5 |
| 23 | आदेशों, आदि के निकालने की शक्ति के अन्तर्गत उनमें जोडने, उनका संशोधन करने, उनमे फेरवार करने या उनका विखण्डन करने की शक्ति का होना | 6 |
| 24 | अधिनियमितियों के पारित और प्रारम्भ होने के बीच नियमों आदि का बनाया जाना तथा आदेशों का निकाला जाना | 6 |
| 25 | राजस्थान राज-पत्र में आदेशों आदि के प्रकाशन को सम्यक् प्रकाशन समझा जाएगा | 6 |
| 26 | नियमों आदि के पूर्व प्रकाशन के पश्चात् बनाये जाने के संबंध में लागू होने वाले उपबन्ध | 6 |
| 27 | निरसित और पुनः अधिनियमित अधिनियमितियों के अधीन निकाले गये आदेशों आदि का चालू रहना | 7 |
| **विविध** | | |
| 28 | जुर्मानों की वसूली | 7 |
| 29 | दो या अधिक अधिनियमितियों के अधीन दण्डनीय अपराधों के बारे में उपबन्ध | 7 |
| 30 | डाक द्वारा तामील का अर्थ | 8 |
| 31 | अधिनियमितियों का प्रोद्धरण | 8 |
| | **साधारण परिभाषाए** | |
| 32 | परिभाषाए | 8 |

**विधि रचना संगठन**
**(विधि एवं न्याय व्यवस्था प्रकोष्ठ)**

**अधिसूचना**

**जयपुर, सितम्बर 21, 1974**

संख्या प. 1 (1) (1) वि.र. (वि. न्या.) 1 71:- राजस्थान राजभाषा (अनुपूरक उपबंध) अधिनियम, 1970 (1970 का राजस्थान अधिनियम 19) की धारा 2 के अनुसरण में राजस्थान जनरल क्लाजेज एक्ट, 1955 (1955 का अधिनियम संख्या 8) का, राज्यपाल द्वारा अनुमत हिन्दी अनुवाद उनके प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

प्राधिकृत पाठ
राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम, 1955
(1955 का अधिनियम संख्या 8)

(राष्ट्रपति की अनुमति तारीख 5 अगस्त, 1955 को प्राप्त हुई )

राजस्थान विधियेां के निर्वचन के लिये उपबंध करने और निर्वचन को सुकर बनाने तथा इनसे संबंधित अन्य उपबंध करने के लिये अधिनियम।

यतः राजस्थान विधियों के निर्वचन के लिये उपबंध करना और निर्वचन का सुकर बनाना, इ न विधियेां में प्रयुक्त भाषा का संक्षेप करना और ऐसी विधियेां के संबध में कतिपय अन्य उपबंध करना समीचनी है;

अतः भारत गणराज्य के छटे वर्ष में राजस्थान राज्य विधान मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ:-**(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम, 1955 है।

(2) यह राजस्थान राज-पत्र में इसके प्रथम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. **निरसन:-**दी जयपुर जनरल क्लाजेज एक्ट, 1944 दी अलवर स्टेट जनरल क्लाजेज एक्ट 1944, दी मेवाड जनरल क्लोजेज एक्ट, 1944, दी अलवर स्टेट जनरल क्लाजेज एक्ट, 1948 तथा प्रसंविदाकारी राज्यों के या अजमेर या आबू या सुनेल क्षेत्र में प्रवृत अन्य समरूपी विधियां इसके द्वारा निरसित की जाती है।

3. **साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 के प्रति निदेश:-** किसी भी राजस्थान विधि के केन्द्रीय विधान मण्डल के साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का अधिनियम 10 ) के, या उसके उपबंधों के प्रति निदेश इस अधिनियम के या इसके समरूपी उपबंधेां के प्रति निदेश समझे जायेंगे।

परन्तु इस अधिनियम की कोई भी बात इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व की किसी भी राजस्थान विधि पर अथवा राजस्थान साधारण खण्ड (संधोधन) अधिनियम, 1957 के प्रारंभ के पूर्व

अजमेर अबू और सुनेल क्षेत्रों में प्रवृत विधियों के मामले में केन्द्रीय विधान मण्डल के साधारण खण्ड अधिनियम 1857 (1897 का अधिनियम 10) के प्रवर्तन पर कोई प्रभाव नही डालेगी।

4. **लागू होना** :- जब तक कि अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित न हो अथवा संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो इस अधिनियम के उपबंध निम्नलिखित पर लागू होंगे :-

(1) इस अधिनियम पर

(2) इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात बनाई गई पुनर्गठन से पहले के राजस्थान राज्य में प्रवृत समस्त राजस्थान विधियों पर,

(3) राजस्थान राज्य विधान मण्डल द्वारा समय समय पर राजस्थान के लिए अनुकूलित समस्त केन्द्रीय अधिनियमों पर

(4) जहां कोई उक्त विधि या अधिनियम किसी प्राधिकारी को नियम, विनियम या उपविधियां बनाने की शक्ति प्रदान करे वहां ऐसे नियमों विनियमों या उपविधियों पर,

(5) यथाशक्य संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची ।। तथा ।।। से संबंधित इस अधिनियम के प्रारमभ से पूर्व बनाई गई पुनर्गठन से पहले के राजस्थान राज्य में प्रवृत समस्त राजस्थान विधियों पर तथा उनके अधीन के नियमों, विनियमों या उपविधियों पर, तथा

(6) समस्त राजस्थान विधियों पर और उनके अधीन बनाये गये नियमों विनियमों तथा उपविधियों पर जो 1 नवम्बर 1956 को अथवा तत्पश्चात् बनाई गई हों।

## अर्थान्वयन के साधारण नियम

5. **राजस्थान विधियों का प्रवर्तन में आना:**- (1) जहां 1 नवम्बर, 1956 के पश्चात् बनायी गयी किसी राजस्थान विधि का किसी विशिष्ठ दिन को प्रवर्तन में आना अभिव्यक्त नही है वहां वह उस दिन प्रवर्तन में आयेगी जिस दिन.-

(क) यदि वह राज्य विधान सभा का अधिनियम है तो उस पर राज्यपाल की अथवा राष्ट्रपति की जैसा भी स्थिति द्वारा अपेक्षित हो अनुमति राजस्थान राज-पत्र में प्रथम बार प्रकाशित की जाये; और

(ख) यदि वह राज्यपाल या राष्ट्रपति का अधिनियम या अध्यादेश है तो उस अधिनियम या अध्यादेश के रूप में उसे राजस्थान राज-पत्र में प्रथम बार प्रकाशित किया जाये।

(2) जब तक कि इसके प्रतिकूल अभिव्यक्त न किया गया हो, राजस्थान विधि का ऐसा अर्थ लगाया जायेगा कि वह अपने प्रारंभ के पूर्ववर्ती दिन का अवसान होती ही प्रवर्तन में आ गई है।

6. **निरसन का प्रभाव:**- जहां कोई राजस्थान विधि अब तक बनायी गयी या इसके पश्चात् बनायी जाने वाली किसी अधिनियमिति को निरसित कर देती है, वहां जब तक कि कोई भिन्न आशय प्रतीत न हो, वह निरसन :-

(क) जब निरसन के प्रभावशील होने के समय अप्रवृत या अविद्यमान किसी बात को पुनरूज्जीवित नही करेगा, अथवा

(ख) इस प्रकार निरसित किसी अधिनियमिति के पूर्व-प्रवर्तन पर अथवा उसके अधीन सम्यक् रूप से की गई या सहन की गई किसी बात पर प्रभाव नही डालेगा, अथवा

(ग) इस प्रकार निरसित किसी अधिनियमिति के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व पर प्रभाव नही डालेगा, अथवा

(घ) इस प्रकार निरसित किसी अधिनियमिति के विरूद्ध किए गए किसी अपराध की बाबत उपगत किसी जुर्माने, शास्ति, समपहरण या दण्ड पर प्रभाव नही डालेगा, अथवा

(ड.) किसी यथापूर्वोक्त अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व जुर्माने, शास्ति, समपहरण या दण्ड के बारे में के किसी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार पर प्रभाव नही डालेगा,

और ऐसा कोई भी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार इस प्रकार संस्थित किया चालू रखा या प्रवर्तित किया जा सकेगा और ऐसा कोई भी जुर्माना, शास्ति, समपहरण या दण्ड इस प्रकार अधिरोपित किया जा सकेगा मानो वह निरसनकारी विधि पारित ही नही हुई हो।

(2) इस धारा के उपबन्ध किसी राजस्थान विधि का अवसान या प्रत्याहरण हो जाने पर भी यथास्थिति उसी प्रकार लागू होंगे मानो ऐसी विधि अवसित न हुई हो अथवा प्रत्याहृत न की गई हो :

परन्तु उप-धारा (1) के खण्ड (क) का उपबन्ध इस प्रकार लागू नही होगा।

**7. पाठीय संशोधन करने वाली विधियों का निरसन :-** जहां कोई राजस्थान विधि किसी ऐसी अधिनियमिति को निरसित करती है जिसके द्वारा किसी विधि का पाठ किसी विषय के अभिव्यकत लोप, अन्त:स्थापन या प्रतिस्थापन द्वारा संशोधित किया किया गया था वहा जब तक कि भिन्न आशय प्रतीत न हो, वह निरसन इस प्रकार निरसित और उस अधिनियमिति द्वारा किए गए ऐसे निरसन के समय प्रवर्तमान किसी ऐसे संशोधन के चालू रहने पर प्रभाव नही डालेगा।

**8. निरसित अधिनियमितियों को पुनरजीवित किया जाना.-** इ स अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात बनाई गई किसी राजस्थान विधि में किसी पूर्णतः या अशंत निरसित अधिनियमिति को पूर्णत: या अशंत पुनरजीवित करने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक होगा कि इस प्रयोजन का कथन अभिव्यक्त रूप से कर दिया जाये।

**9.निरसित अधिनियमितियों के प्रति किए गए निर्देशों का अर्थान्वयन:-** जहां कोई राजस्थान विधि किसी पुर्व अधिनियमिति या उसके किसी उपबन्ध को निरसित और उपान्तर सहित या रहित पुनः अधिनियमित करती है वहां जब तक भिन्न आशय प्रतीत न हो, ऐसी निरसित अधिनियमिति या उपबन्ध के प्रति किसी अन्य अधिनियमिति या किसी लिखित में के निर्देशों का यह अर्थ लगाया जायेगा कि वो यथास्थिति इस प्रकार पुनः अधिनियमित अधिनियमिति या उपबन्ध के प्रति निर्देश है।

**10. समय का प्रारम्भ और पर्यवसान :-** किसी राजस्थान विधि मै, दिनों की आवलियों में के या समय की किसी अन्य कालावधि में के पहले दिन को अपवर्जित करने के प्रयोजन के लिए से शब्द का उपयोग तथा दिनों की आवलियों में के या समय की किसी अन्य कालावधि में के अन्तिम दिन को अन्तर्गत करने के प्रयोजन के लिए 'तक' शब्द का उपयोग पर्याप्त होगा।

**11. समय की संगणना:-** जहां किसी राजस्थान विधि द्वारा किसी भी कार्य या कार्यवाही का किसी भी न्यायालय या कार्यालय में किसी निश्चित दिन को या किसी विहित कालावधि के अन्दर किया जाना निदिष्ट या अनुज्ञात है वहां यदि वह न्यायालय या कार्यालय उस दिन या उस विहित कालावधि के अन्तिम दिन बन्द है तो यदि वह कार्य या कार्यवाही उस ठीक अगले दिन को जब वह न्यायालय या कार्यालय खुलता है की जाती है वो वह सम्यक् समय में की गई मानी जायेगी:

परन्तु इस धारा की कोई भी बात ऐसे कार्य या कार्यवाही पर लागू नही होगी जिस पर भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनिययम IX) लागू है।

**12. दूरियों की माप**:- किसी राजस्थान विधि के प्रयोजनों के लिए किसी दूरी की माप करने में उस दूरी को, जब तक भिन्न आशय क्षे तीत न हो, क्षेतिज समतल पर सरल रेखा में मापा जायेगा।

**13. शुल्क की अनुपातत: उद्ग्रहणीयता :-** जहां किसी राजस्थान विधि द्वारा कोई सीमा-शुल्क या उत्पादन शुल्क अथवा ऐसी ही प्रवृति का कोई शुल्क किसी माल या वाणिज्य वस्तुओं के किसी दिए हुए परिमाण पर, तोल, माप या मूल्य के अनुसार उद्ग्रहणीय है वहां किसी अधिक या न्यून परिमाण पर वैसा ही शुल्क उसी दर के अनुसार उद्ग्रहणीय होगा।

**14. लिंग और वचन:-** समस्त राजस्थान विधियों में जब तक कि भिन्न आशय प्रतीत न हो:-

(1) यह समझा जायेगा कि पुलिंग शब्दों के अन्तर्गत स्त्रीलिंग वाचक शब्द भी आयेगें, तथा

(2)एक वचन शब्दों के अन्तर्गत बहुवचन शब्द और बहुवचन शब्दों के अन्तर्गत एक वचन शब्द भी आयेंगे

## शक्तियां और कृत्यकारी

**15. शक्ति या कर्तव्य का समय-समय पर प्रयोक्तव्य होना:-** जहां किसी राजस्थान विधि द्वारा कोई भी शक्ति प्रदत्त है या कोई कर्तव्य अधिरोपित है वहा जब तक कि भिन्न आशय प्रतीत न हो, उस शक्ति का प्रयोग और उस कर्तव्य का पालन अवसर द्वारा जैसा अपेक्षित हो, समय-समय पर किया जा सकेगा।

**16. पद के अस्थायी धारक द्वारा शक्ति का प्रयोग और कर्तव्य का पालन:-** जहां कोई राजस्थान विधि इस प्रकार के पदधारक को कोई शक्ति प्रदान करती है अथवा उस पर कोई कर्तव्य अधिरोपित करती है तो तत्समय के पदधारक द्वारा उस शक्ति का प्रयोग किया जा सकेगा और उस कर्तव्य का पालन किया जायेगा।

**17. नियुक्ति करने की शक्ति के अन्तर्गत पदेन नियुक्त करने की शक्ति का होना:-** जहां किसी राजस्थान विधि द्वारा किसी पद को भरने या किसी कृत्य का निष्पादन करने के लिये किसी व्यक्ति को नियुक्त करने की शक्ति प्रदत है वहां जब तक कि अन्यथा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित न हो, ऐसी कोई भी नियुक्ति या तो नाम से या पदाभिधान से की जा सकेगी।

**18. नियुक्ति करने की शक्ति के अन्तर्गत निलंबित करने, हटाने या पदच्युत करने की शक्ति का होना : -** जहां किसी राजस्थान विधि द्वारा कोई भी नियुक्ति करने की शक्क्ति प्रदत्त है वहा जब तक कि भिन्न आशय प्रतीत न हो, नियुक्ति करने की तत्समय शक्ति रखने वाले प्राधिकारी को उस शक्ति के प्रयोग में स्वयं द्वारा या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किये गए किसी व्यक्ति को निलंबित करने हटाने या पदच्युत करने की भी शक्ति होगी।

**19. कृत्यकारियों का प्रतिस्थापन:-** किसी राजस्थान विधि में यह उपदर्शित करने के प्रयोजन के लिए कि केाई विधि किसी पद के कृत्यों को तत्समय निष्पादित करने वाले हर व्यक्ति या कई व्यक्तियों को लागू है वर्तमान में कृत्यों का निष्पादन करने वाले अधिकारी के या उस अधिकारी के जिसके द्वारा कृत्य सामान्यत: निष्पादित किए जाते है पदों के नाम का उल्लेख कर देना पर्याप्त होगा।

**20. उत्तरवर्ती:-** किसी राजस्थान विधि में किन्ही कृत्यकारियों के या शाश्वत उत्तराधिकार रखने वाले नियमों के उत्तरवर्तियों के साथ किसी विधि के संबंध को उपदर्शित करने के प्रयोजन के लिये कृत्यकारियों के साथ या निगमों के साथ उसका संबंध अभिव्यक्त कर देना प्रर्याप्त होगा।

**21. कार्यालय के मुख्य और अधीनस्थ:-** किसी राजस्थान विधि में, यह अभिव्यक्त करने के लिए कि किसी कार्यालय के मुख्य या वरिष्ठ से संबंधित विधि उन उप-पदियों या अधीनस्थो पर जो

अपने वरिष्ठ के स्थान पर उस पद के कर्तैव्यों का वैध रूप से पालन कर रहे हो, लागू होगी यह पर्याप्त होगा कि उस वरिष्ठ के कर्तव्यों को विहित कर दिया जाये।

## <u>अधिनियमितियों के अधीन निकाली गई अधिसूचनाओं, किए गए आदेशों और बनायो गये नियमों आदि के बारे में उपबन्ध</u>

**22. अधिनियमितियों के अधीन निकाली गई अधिसूचनाओं, किए गए आदेशों आदि का अर्थान्वयन:**- जहां किसी राजस्थान विधि द्वारा कोई अधिसूचना, आदेश, स्कीम, नियम, विनियम प्रारूप या उपविधि बनाने या निकालने की शक्ति प्रदत्त की गई है वहा अधिसूचना आदेश स्कीम नियम, विनियम प्रारूप या उपविधि में प्रयुक्त पदों के जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात विरूद्ध न हो, क्रमश: वें ही अर्थ होंगे जो शक्ति प्रदत्त करने वाली राजस्थान विधि में है।

**23. आदेशों आदि के बनाने या निकालने की शक्ति के अन्तर्गत उसमें जोडने, उनका संशोधन करने उनमें फेरफार करने या उनका विखण्डन करने की शक्ति का होना:**- जहां किसी राजस्थान विधि द्वारा आदेशों, नियमों, विनियमों, स्कीमों, प्रारूपों, विधियां या अधिसूचनाओं को बनाने या निकालने की शक्ति प्रदत्त की गई है वहां इस प्रकार बनाए या निकाले गये आदेशेां, नियमों विनियमों स्कीमों, प्रारूपों, उप-विधियों या अधिसूचनाओं में वैसी ही रीति से वैसी हो, मंजूरी और शर्तो के (यदि कोई हो) अध्यधीन रहते हुए जोडने उनका संशोधन करने, उनमें फेरफार करने या उनका विखण्डन करने की प्रयोक्तव्य शक्ति, उस शक्ति के अन्तर्गत आती है।

**24. अधिनियमितियों के पारित और प्रारम्भ होने के बीच नियमों आदि का बनाया जाना तथा आदेशेां का निकाला जाना.**- जहां किसी ऐसी राजस्थान विधि के, जिसे अपने पारित हाते ही प्रवृत्त नही होना है लागू होने के बारे में अथवा उसके अधीन किसी न्यायालय या कार्यालय की स्थापना या किसी न्यायाधीश या अधिकारी की नियुक्ति के बारे में अथवा उस व्यक्ति के जिसके द्वारा या उस समय के जब या उस स्थान के जहां या उस रीति के जिसमें या उन फीसों के जिनके लिए ऐसी विधि के अधीन कुछ किया जाना है,, बारे में नियम विनियम या उपविधियां बनाने की या आदेश निकालने की शक्ति उस विधि द्वारा प्रदत्त है वहा वह शक्ति उस विधि के पारित होने के पश्चात किसी भी समय प्रयोग में लाई जा सकेगी, किन्तु इस प्रकार बनाए गए नियम विनियम या उपविधियां या निकाले गये आदेश तब तक प्रभावशील नही होंगे जब तक कि उस विधि का प्रारंभ न हो जाए।

**25. राजस्थान राजपत्र में आदेशों, आदि के प्रकाशन को सम्यक् प्रकाशन समझा जायेगा:**- जहां किसी राजस्थान विधि या उसके अधीन बनाए गए नियम, विनियम या उप-विधि मं यह निदेश दिया गया हो कि कोई नियम, विनियम, उप-विधि अधिसचूना, आदेश, स्कीम, प्ररूप या अन्य बात अधिसूचित या प्रकाशित की जायेगी वहां जब तक ऐसी विधि, नियम, विनियम या उप-विधि अन्यथा उपबंधित न करे ऐसी अधिसूचना या प्रकाशन को, यदि इसे राजस्थान राज-पत्र में प्रकाशित कर दिया जाये तो सम्यक् रूप में किया गया समझा जायेगा।

**26. नियमों आदि के पूर्व प्रकाशन के पश्चात बनाए जाने में लागू होने वाले उपबन्ध:**- जहां किसी राजस्थान विधि द्वारा नियम, विनियम या उप-विधियां बनाने की शक्ति का ऐसी शर्त के अध्यधीन दिया जाना अभिव्यक्त है कि नियम, विनियम या उप-विधियों पूर्व-प्रकाशन के पश्चात ही बनाई जायें, वंहा जब तक ऐसी विधि में अन्यथा उपबंधित न हो निम्नलिखित उपबन्ध लागू होंगे, अर्थात:-

(1) नियमों, विनियमों या उप-विधियों को बनाने की शक्ति रखने वाला प्राधिकारी उन्हें बनाने के पूर्व उन व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिन पर उनका प्रभाव पडना सम्भाव्य है, प्रस्तावित नियमों, विनियमों या उप-विधियों का प्रारूप प्रकाशित करेगा;

(2) वह प्रकाशन ऐसी रीति से जो, वह प्राधिकारी पर्याप्त समझता है, अथवा यदि पूर्व प्रकाशन की शर्त ऐसी अपेक्षा करती है तो ऐसी रीति से, जैसी कि सरकार विहित करें, किया जायेगा ;

(3) उस प्रारूप के साथ एक सूचना प्रकाशित की जायेगी जिसमें वह तारीख विनिर्दिष्ट होगी जिस तारीख को या जिसके पश्चात् उस प्रारूप पर विचार किया जायेगा ;

(4) नियमों, विनियमों, या उप-विधियों को बनाने की शक्ति रखने वाला प्राधिकारी और जहां कि नियम या उप-विधियां किसी अन्य प्राधिकारी की मंजूरी अनुमोदन या सहमति से बनाई जानी है वहां वह प्राधिकारी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर विचार करेगा जो नियमों, विनियमों या उप-विधियों को बनाने की शक्ति रखने वाले प्राधिकारी को ऐसी विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व उस प्रारूप के बारे में किसी व्यक्ति से प्राप्त हो ;

(5) नियमों, विनियमों या उप-विधियों को पूर्व प्रकाशन के पश्चात् बनाने की शक्ति के प्रयोग में बनाए गए होने के लिये तात्यर्पित नियम, विनियम या उप-विधि का राजस्थान राज-पत्र में प्रकाशन इस बात का निश्चायक सबूत होगा कि वह नियम, विनियम या उप-विधि सम्यक् रूप से बनाई गई है।

**27. निरसित और पुन: अधिनियमित अधिनियमितियों के अधीन निकाले गए आदेशों आदि का चालू रहना:**- जहां कोई अधिनियमिति निरसित तथा उपान्तरें सहित या रहित पुन: अधिनियमित की जाती है, वहां जब तक कि अभिव्यक्तत: अनयथा उपबंधित न हो उस निरसित अधिनियमिति के अधीन की गई या निकाली गई कोई नियुक्ति अधिसूचना, आदेश, स्कीम, नियम, उप-नियम प्रारूप या उप-विधि तथा सम्यक् रूप से की गई कोई भी बात या कार्यवाही वहां तक प्रवृत बनी रहेगी जहां तक कि वह इस प्रकार पुन: अधिनियमित उपबंधों से असंगत नही है, तथा यदि और जब तक कि वह इस प्रकार पुन: अधिनियमित उपबंधों के अधीन की गई या निकाली गयी किसी नियुक्ति अधिसूचना, आदेश, स्कीम, नियम, विनियम प्ररूप या उप-विधि या की गई किसी बात या कार्यवाही द्वारा अतिष्ठित न कर दी जाये,इस प्रकार पुन: अधिनियमित उप-बन्धों के अधीन की गई या निकाली गई समझी जायेगी।

## प्रकीर्ण

**28. जुर्मानों की वसूली :**- भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) की 63 से लेकर 70 तक की धाराये और दण्ड प्रकिया संहिता 1898 (1898 का केन्द्रीय अधिनियम 5) के जुर्मानों के उद्ग्रहण के लिये वारण्टो के निकाले जाने और निष्पादन करने से संबंधित उपबंध किसी भी राजस्थान विधि के अधीन या किसी भी राजस्थान विधि के अधीन बनाये गये किसी भी नियम, विनियम या विधि के अधीन अधिहरोपित समस्त जुर्मानों पर लागू होंगे जब तक कि ऐसी विधि नियम, विनियम या उप-विधि में इसके प्रतिकूल कोई अभिव्यक्त उप-बंध न हो।

**29. दो या अधिक अधिनियमितियो के अधीन दण्डनीय अपराधो के बारे में उपबन्ध** - जहां किसी कार्य या लोप से दो या अधिक अधिनियमितियों के अधीन कोई अपराध बनता है, वह अपराधी उन दोनों अधिनियमितियों के या उनमें से किसी के भी अधीन अभियोजित और दण्डित किये जाने का भागी होगा, किन्तु उसी अपराध के लिये दो बार दण्डित नही किया जा सकेगा।

**30. डाक द्वारा तामील का अर्थ:** -जहां किसी राजस्थान विधि में किसी दस्तावेज की डाक द्वारा तामील किया जाना प्राधिकृत या अपेक्षित है, चाहे अभिव्यक्ति 'तामील' का अथवा 'देना या'भेजना इन दोनों में से किसी का अथवा किसी अन्य अभिव्यक्ति का प्रयोग किया गया हो, वहां जब तक कि भिन्न आशय प्रतीत न हो उस दस्तावेज को अन्तर्विष्ट रखने वाले पत्र पर उचित रूप से पता लिखकर, उस पर पूर्व संदाय करके और उसे रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजने से तामील हुई समझी जायेगी और जब तक कि इसका प्रतिकूल साबित न कर दिया जाये वह समझा जायेगा कि तामील उस समय हो चुकी है जब वह पत्र डाक के मामूली अनुक्रम में परिदत हो जाता।

**31. अधिनियमितियों का प्रोद्धरण :** - (1) किसी राजस्थान विधि में तथा किसी ऐसी विधि के अधीन या उसके प्रति निर्देश से बनाये गये किसी नियम, विनियम, उप-विधि, लिखित या दस्तावेज में किसी अधिनियमिति को उसके प्रदत्त नाम या संक्षिप्त नाम (यदि कोई हो ) के प्रति निर्देश से या उसके संख्यांक और वर्ष के प्रति निर्देश से प्रोद्धत किया जा सकेगा तथा किसी अधिनियमिति के किसी भी उप-बंध को उस अधिनियमिति की जिसमें कि वह उप-बंध अर्न्विष्ट है, धारा या उप-धारा के प्रति निर्देश से प्रोद्धत किया जा सकेगा।

(2) किसी राजस्थान विधि में किसी दूसरी अधिनियमिति के किसी प्रभाग के वर्णन या प्रोद्धरण का, जब तक कि भिन्न आशय प्रतीत न हो, यह अर्थ लगाया जायेगा कि उसके अन्तर्गत वह शब्द, धारा या अन्य भाग आता है जिसका इस रूप का उल्लेख या निर्देश है कि वह उस वर्णन या प्रोद्धरण में समाविष्ट प्रभाग का आरम्भ है और अन्त है।

## <u>साधारण परिभाषाएं</u>

**32. परिभाषाएं:-** (1) जब तक विषय या सन्दर्भ में केाई बात विरूद्ध न हो या जब तक कोई प्रतिकूल आशय प्रतीत न हो, निम्नलिखित अभिव्यक्तियेां के वे ही अर्थ होंगे, जो इसके द्वारा क्रमश: उन्हें दिये गये है, अर्थात् :-

(1)"कुष्प्रेरण" का उसके व्याकरणिक रूप भेंदों और सजातीय अभिव्यक्तियेां के सहित, वही अर्थ होगा जो भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्दीय अधिनियम 45) में है;

(1क) "आबू क्षेत्र" से अभिप्रेत होगा 1 नवम्बर, 1956 के ठीक पहले यथाविद्यमान बम्बई राज्य के बनासकण्ठा जिले के आबू रोड तालुका में समाविष्ट राज्य--क्षेत्र ;

(2) "कार्य" का उपयोग जब किसी अपराध या सिविल दोष के प्रति निर्देश से किया जाता है तब उसके अन्तर्गत कार्यावली आयेगी तथा उन शब्दों का, जो किए गए कार्यो के प्रति निर्देश करते है, विस्तार अवैध लोपों तक भी होगा;

(3) "शपथ-पत्र" के अन्तर्गत उन व्यक्तियों के प्रतिज्ञान और घोषणा आयेगी जो शपथ लेने के स्थान पर प्रतिज्ञ्ज्ञन या घोषणा करने के लिये विधि द्वारा अनुज्ञात है;

(3क) "अजमेर क्षेत्र" से अभिप्रेत होगा 1 नवम्बर, 1956 से ठीक पहले यथाविद्यमान अजमेर राज्य का राज्य-क्षेत्र ;

(4) "बैरिस्टर" से अभिप्रेत होगा इंग्लैण्ड या आयरलैण्ड का बैरिस्टर अथवा स्काटलैण्ड की फैकल्टी ऑफ ऐडवोकेट्स का सदस्य ;

(5) "बोर्ड" या "राजस्व बोर्ड" से अभिप्रेत होगा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार स्थापित और गठित राजस्थान का राजस्व बोर्ड ;

(6) ''ब्रिटिश भारत''  से अभिप्रेत होंगे :-

(i) गवर्नमेंट आफ इण्डिया एक्ट, 1935 के भाग 3 के प्रारंभ से पूर्व की कालावधि के बारे में, हिज मैजिस्टी के अधिक्षेत्रों के भीतर के वे समस्त रज्य-क्षेत्र और स्थान जो हिज मैजिस्टी द्वारा भारत के गवर्नर जनरल के माध्यम से या किसी गवर्नर के माध्यम से या भारत के गवर्नर जनरल के अधीनस्थ किसी अधिकारी के माध्यम से शासित होते थे, तथा

(ii) ऐसे प्रारंभ के पश्चात् और भारत डोमिनियन की स्थपान से पूर्व की किसी कालावधि के बारे में वे समस्त राज्य क्षेत्र जो गवर्नरों के प्रान्तों और चीफ कमिश्नरों के प्रान्तों में तत्समय समाविष्ट थे,

(7) "केन्द्रीय अधिनियम" से संसद का अधिनियम अभिप्रेत होगा और इसके अन्तर्गत आयेंगेः-

(क) संविधान के प्रारंभ से पूर्व पारित डोमिनियन विधान मण्डल का या भारतीय विधान मण्डल का अधिनियम, तथा

(ख) ऐसे प्रारंभ से पूर्व सपरिषद् गवर्नर जनरल द्वारा अथवा विधायी हैसियत से कार्य करते हुए गवर्नर जनरल द्वारा बनाया गया अधिनियम,

(8) "केन्द्रीय सरकार" से अभिप्रेत होगा

(क) संविधान के प्रारंभ से पूर्व की गई किसी बात के संबंध में, यथा-स्थिति, गवर्नर जनरल या सपरिषद् गवर्नर जनरल,

(ख) संविधान के प्रारंभ के पश्चात् की गई या की जाने वाली किसी बात के संबंध में, राष्ट्रपति,

और संविधान के अनुच्छेद 258 के खण्ड (1) के अधीन किसी राज्य की सरकार को न्यस्त कृत्यों के संबंध में उस खण्ड के अधीन उसे दिये गये प्राधिकार की परिधि के भीतर कार्य करती हुई राज्य सरकार इसके अन्तर्गत आयेगी;

(9) "केन्द्रीय विधान मण्डल" से अभिप्रेत होगा -

(i) भारत डोमिनियन की स्थापना से पूर्व की कालावधि के बारे में, जैसा भी स्थिति द्वारा अपेक्षित हो -

(क) गवर्नमेण्ट ऑफ इंडिया एक्ट, 1833 या गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया एक्ट, 1853 या इण्डियन कौन्सिल्स एक्ट्स, 1861 से 1909 या इनमें से किसी भी एक्ट या गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया एक्ट, 1915 के अधीन विधायी हैसियत में कार्य करते हुआ सपरिषद् गवर्नर जनरल, अथवा

(ख) गवर्नमेण्ट ऑफ इंडिया एक्ट, 1919 या गवर्नमेण्ट ऑफ इंडिया एक्ट, 1935 के अधीन कार्य करता हुआ भारतीय विधान मण्डल, अथवा

(ग) गवर्नमेण्ट ऑफ इंडिया एक्ट, 1935 के अधीन कार्य करता हुआ परिसंघीय विधान मण्डल,

(ii) भारत डोमिनियन की स्थापना के पश्चात् तथा संविधान के प्रारंभ से पूर्व की कालावधि के बारे में, डोमिनियन विधान मण्डल, तथा

(iii) संविधान के प्रारंम्भ के पश्चात् की कालावधि के बारे में, संसद;

(10) "अध्याय" से अभिप्रेत होगा उस अधिनियमिति का अध्याय जिसमें यह शब्द आता है:

(11) "मुख्य नियन्त्रक राजस्व प्राधिकारी" अथवा "मुख्य राजस्व प्राधिकारी" से अभिप्रेत होगा राजस्व बोर्ड,

(12) "कलेक्टर" से अभिप्रेत होगा किसी जिले के राजस्व प्रशासन का मुख्य प्रभारी अधिकारी;

(13) "प्रारंभ" का प्रयोग जब किसी अधिनियमिति के प्रति निर्देश से किया जाता है तब उससे वह दिन अभिप्रेत होगा जिस दिन वह अधिनियमिति प्रवृत्त हुई या प्रवृत्त होती है।

(14) × × ×

15) "संविधान" से अभिप्रेत होगा भारत का संविधान;

(16) प्रसंविदा से अभिप्रेत होगी वह प्रसंविदा जो केन्द्रीय सरकार की सहमति और प्रत्याभूति से प्रसंविदाकारी बांसवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, डूंगरपुर, जयपुर, जैसलमेर, झालावाड़, जोधपुर, किशनगढ़, कोटा, मेवाड़, प्रतापगढ, शाहपुरा और टोंक राज्यों के शासकों द्वारा की गई, तथा जैसी कि वह ऐसी ही सहमति ओर प्रत्याभूति के साथ राजस्थान के राजप्रमुख भूतपूर्व मत्स्य राज्य के राजप्रमुख और प्रसंविदाकारी अलवर, भरतपुर, धोलपुर और करौली राज्यों के शासकों के मध्य, अन्त में वर्णित चार प्रसंविदाकारी राज्यों को राजस्थान राज्य में सम्मिलित करने और उनके साथ एकीकरण के लिये किए गए करार द्वारा अनुपूरित हुई, जिसके द्वारा कि राजस्थान राज्य की स्थापना हुई और इसमें जहां सन्दर्भ द्वारा ऐसा अपेक्षित हो, भूतपूर्व राजस्थान राज्य की स्थापना करने वाली प्रसंविदा या भूतपूर्व मत्स्य राज्य की स्थापना करने वाली प्रसंविदा सम्मिलित होगी;

(17) "प्रसंविदाकारी राज्य" से अभिप्रेत होंगे और इसके अन्तर्गत आयेंगे अलवर, बांसवाड़ा, भरतपुर, बीकानेर, बूंदी, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, जैसलमेर, झालावाड़, जोधपुर, करौली, किशनगढ़, कोटा, मेवाड़, प्रतापगढ, शाहपुरा, सिरोही और टोंक में से कोई भी भारतीय राज्य;

(18) "जिला" से अभिप्रेत होंगी और इसके अन्तर्गत आयेंगी तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन निर्मित या निर्मित समझे गये कलेक्टर के प्रशासनिक प्रभार के अधीन राजस्थान के किसी जिले की प्रादेशिक सीमाएं;

(19) "जिला न्यायालय" से अभिप्रेत होगा किसी जिले का आरंभिक अधिकारिता वाला, इस प्रयोजन के लिये गठित प्रधान सिविल न्यायालय; किन्तु अपनी साधारण या असाधारण आरंभिक सिविल अधिकारिता का प्रयोग करने वाला उच्च न्यायालय इसके अन्तर्गत नहीं आयेगा;

(20) "जिला न्यायाधीश" से अभिप्रेत होगा जिला न्यायालय या न्यायाधीश;

(21) × × ×

(22) "दस्तावेज" के अन्तर्गत ऐसा कोई विषय आयेगा जो किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों के साधन द्वारा या उनमें से एक से अधिक साधन द्वारा लिखित, अभिव्यक्त, उत्कीर्ण या वर्णित है जो उस विषय के अभिलेखन के प्रयोजन के उपयोग किये जाने को आशयित हो या उपयोग किया जा सके;

(23) "डोमिनियन" या "भारत डोमिनियन" से अभिप्रेत होगा ब्रिटिश पार्लियामेन्ट के इण्डियन इण्डिपेण्डेन्ट्स एक्ट, 1947 द्वारा स्थापित भारत डोमिनियन;

(24) "डोमिनियन सरकार" से अभिप्रेत होगी डोमिनियन की सरकार;

(25) "डोमिनियन विधान मण्डल" से अभिप्रेत होगा इण्डियन (प्राविजनल कान्स्टीट्यूशन) ऑर्डर, 1947 द्वारा यथा-अनुकूलित गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया एक्ट, 1935 के अधीन कार्य करने वाला भारत के डोमिनियन का विधान मण्डल;

(26) "अधिनियमिति से अभिप्रेत होगी और इसके अन्तर्गत आयेगी कोई विधि और किसी विधि में अन्तर्विष्ट कोई उपबन्ध;

(27) "पिता" के अन्तर्गत किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में, जिसकी स्वीय विधि दत्तक ग्रहण अनुज्ञात करती है, दत्तक पिता आयेगा;

(28) "वित्तीय वर्ष" से अभिप्रेत होगा अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारम्भ होने वाला और ठीक आगामी मार्च के इकतीसवें दिन समाप्त होने वाला वर्ष;

(29) "भूतपूर्व मत्स्य राज्य" से अभिप्रेत होगा प्रसंविदाकारी अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली से राज्यों के शासकों द्वारा की गई प्रसंविदा द्वारा स्थापित संयुक्त मत्स्य राज्य;

(30) "भूतपूर्व राजस्थान राज्य" से अभिप्रेत होगा प्रसंविदाकारी बांसवाडा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड, किशनगढ़, कोटा, मेवाड़, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक के राज्यों के शासकों द्वारा की गई प्रसंविदा द्वारा स्थापित संयुक्त राजस्थान राज्य;

(31) "राज-पत्र" या "शासकीय राज-पत्र" या "राजस्थान गजट" या "राजस्थान राज-पत्र" से अभिप्रेत होगा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसरण में राज्य सरकार के प्राधिकार के अधीन प्रकाशित राजस्थान राज-पत्र;

(32) "कोई बात" सद्भावपूर्वक की गई समझी जायेगी जहा कि वह तथ्यथ: ईमानदारी से की गई है चाहे वह उपेक्षा से की गई है या नहीं;

(33) "सरकार" के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार और कोई भी राज्य सरकार दोनों आयेंगी;

(34) "सरकारी प्रतिभूतियों" से अभिप्रेत होंगी केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार की प्रतिभूतियां;

(34क) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है 1 नवम्बर, 1956 को या उसके पश्चात् की कालावधि के बारे में राजस्थान का राज्यपाल;

(35) "उगती फसल" के अन्तर्गत मृदा बद्ध समस्त प्रकार की फसलें तथा वृक्षों और झाड़ियों पर के पत्ते, फूल और फल तथा उनमें का रस आयेगा;

(36) "उच्च न्यायालय" से अभिप्रेत होगा राजस्थान का उच्च न्यायालय;

(37) "स्थावर सम्पत्ति" के अन्तर्गत भूमि, भूमि से उद्‌भूव होने वाले फायदे और वे चीजें, जो भूबद्ध है या भूबद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से जकड़ी हुई है, आयेंगी परन्तु खड़ा हुआा काष्ट, उगती फसलें या घास इस के अन्तर्गत नहीं आयेंगे;

(38) "कारावास" से अभिप्रेत होगा भारतीय दण्ड संहिता (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) में परिभाषित दोनों में से किसी भांति का कारावास;

(39) "भारत" से अभिप्रेत होंगे-

(क) भारत डोमिनियन की स्थापना से पूर्व की किसी कालावधि के बारे में, हिज मेजिस्टी के उस समय महाधिपत्याधीन भारतीय शासकों के समस्त राज्य क्षेत्रों के और ऐसे भारतीय शासकों के महाधिपत्याधीन के समस्त राज्य क्षेत्रों के और जनजाति क्षेत्रों के सहित ब्रिटिश भारत;

(ख) भारत डोमिनियन की स्थापना के पश्चात् और संविधान के प्रारंभ से पूर्व के किसी कालावधि के बारे में, उस डोमिनियन के अन्तर्गत समस्त राज्य-क्षेत्र;

(ग) संविधान के प्रारम्भ के पश्चात् की किसी कालावधि के बारे में, भारत के राज्य-क्षेत्र में उस समय समाविष्ट समस्त, राज्य-क्षेत्र;

(40) "भारतीय राज्य-क्षेत्र" से अभिप्रेत होगा कोई ऐसा राज्य-क्षेत्र जिसे केन्द्रीय सरकार ने संविधान के प्रारम्भ से पूर्व ऐसे राज्य-क्षेत्र के रूप में मान्यता दे रखी थी चाहे वह राज्य-क्षेत्र, राज्य, ऐस्टेट, जागीर या अन्य नाम से वर्णित रहा हो और उसके अन्तर्गत प्रसंविदाकारी प्रत्येक राज्य आयेगा;

(41) "विधि" से अभिप्रेत होगी कोई ऐसी विधि, अधिनियम, अध्यादेश, विनियम, नियम, अधिसूचना, आदेश, उप-विधि, स्कीम या अन्य लिखत जो तत्समय विधि का बल रखती हो;

(42) "विधान सभा" या "राज्य विधान सभा" से अभिप्रेत होगी संविधान के अनुमार राजस्थान के लिये बताई गई विधान सभा;

(43) "स्थानीय प्राधिकारी" से अभिप्रेत होगा नगरपालिक बोर्ड, समिति, निगम या परिषद् जिला बोर्ड, जिला परिषद, पंचायत समिति, पंचायत या ऐसा अन्य प्राधिकारी जो नगरपालिक या स्थानीय विधि के नियन्त्रण या प्रबंध का वैध रूप से हकदार है या जिसे नियन्त्रण या प्रबंध सरकार द्वारा न्यस्त है;

(44) "मजिस्ट्रेट" के अन्तर्गत ऐसा हर व्यक्ति आयेगा जो दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का केन्द्रीय अधिनियम 5) के अधीन मजिस्ट्रेट की समस्त या किसी शक्ति का प्रयोग कर रहा है;

(45) × × ×

(46) "मास" से अभिप्रेत होगा ब्रिटिश कलैण्डर के अनुसार संगणित मास;

(47) "जंगम संपत्ति" से अभिप्रेत होगी स्थावर संपत्ति के सिवाय हर भांति की संपत्ति;

(48) "अधिसूचना" या "लोक अधिसूचना" से अभिप्रेत होगी राज-पत्र में समुचित प्राधिकार से प्रकाशित अधिसूचना;

(49) "शपथ" के अन्तर्गत ऐसे व्यक्तियों की दशा में जो शपथ लेने के स्थान पर प्रतिज्ञान या घोषणा करने के लिये विधि द्वारा अनुज्ञात है, प्रतिज्ञा घौर घोषणा आयेंगी;

(50) "अपराध" से अभिप्रेत होगा ऐसा कोई कार्य या लोप जो किसी तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा दण्डनीय किया गया है;

(51) "अध्यादेश" से अभिप्रेत होगा और उनके अन्तर्गत आयेगाः-

(क) प्रसंविदा के प्रारंभ से पूर्व की किसी कालावधि के बारे में,

(i) प्रसंविदाकारी राज्य के शासक या सरकार द्वारा विधि पूर्वक बनाया और प्रख्यापित किया गया अध्यादेश;

(ii) प्रसंविदा के अनुसरण में भूतपूर्व राजस्थान राज्य के राजप्रमुख द्वारा बनाया और प्रख्यापित किया गया अध्यादेश;

(iii) भूतपूर्व मत्स्य राज्य के राजप्रमुख द्वारा इसी प्रकार बनाया और प्रख्यापित किया गया अध्यादेश, और

(iv) राजस्थान के राजप्रमुख द्वारा इसी प्रकार बनाया और प्रख्यापित किया गया अध्यादेश, और

(ख) ऐसे प्रारंभ के पश्चात् की कालावधि के बारे में, संविधान के उपबन्धों के अधीन और उनके अनुसार-

(i) 31 अक्टूबर, 1956 तक राजप्रमुख द्वारा, अथवा

(ii) 1 नवम्बर, 1956 को अथवा उसके पश्चात् राज्यपाल द्वारा बनाया और प्रख्यापित किया गया अध्यादेश;

(52) "संसद" से अभिप्रेत होगी भारत की संसद;

(53) "भाग" से अभिप्रेत होगा उस अधिनियमिति का भाग जिसमें यह शब्द आता है;

(54) × × ×

(55) × × ×

(56) × × ×

(57) "व्यक्ति" के अन्तर्गत कोई कम्पनी या संगम या व्यष्टि-निकाय चाहे निगमित हो या नहीं आयेगा;

(57क) "पुनर्गठन से पहले के राजस्थान राज्य" से अभिप्रेत होगा 1 नवम्बर, 1956 के पूर्व, प्रसंविदा के अनुसरण में या संविधान के अधीन विद्यमान राजस्थान राज्य;

(58) "विहित" से अभिप्रेत होगा किसी अधिनियमिति के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित;

(59) "प्रान्त" से अभिप्रेत होगा प्रेसीडेन्सी या ब्रिटिश भारत यां भारत डोमिनियन का कोई प्रान्त;

(60) "प्रान्तीय अधिनियम" या "प्रान्तीय विधि" से अभिप्रेत होगा प्रान्त के विधान मण्डल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा सभ्यक् रूप से बनाया गया अधिनियम या विधि;

(61) "प्रान्तीय सरकार" से अभिप्रेत होगा संविधान के प्रारंभ से पूर्व की गई किसी बात के बारे में, संबद्ध प्रान्त में कार्यपालिका सरकार का प्रशासन करने के लिये सुसंगत तारीख को प्राधिकृत प्राधिकारी या व्यक्ति;

(62) "राजस्थान" से अभिप्रेत होगा:--

(1) 1 नवम्बर, 1956 के पूर्व की कालावधि के बारे में, पुनर्गठन से पहले का राजस्थान राज्य, तथा

(2) उक्त दिन को और उसके बाद की कालावधि के बारे में, नवीन राजस्थान राज्य, जैसा कि वह राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम 37) की धारा 10 द्वारा बनाया गया, परन्तु भूतपूर्व राजस्थान राज्य इसके अन्तर्गत नहीं आयेगा ।

(63) राजस्थान विधि" के अन्तर्गत आयेंगेः

(I) 7 अप्रेल, 1949 से पूर्व की कालावधि के बारे में-

(क) प्रसंविदाकारी किसी राज्य के शासक या सक्षम विधान मण्डल या अन्य सक्षम प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा बनायी गयी कोई विधि, अथवा

(ख) भूतपूर्व राजस्थान राज्य के या भूतपूर्व मत्स्य राज्य के राजप्रमुख द्वारा प्रसंविदा के अनुसरण में बनाया और प्रख्यापित किया गया कोई अध्यादेश;

(II) 7 अप्रेल, 1949 को और उसके बाद से 17 मार्च, 1952 के साथ समाप्त होने वाली कालावधि के बारे में-

(क) राजप्रमुख द्वारा प्रसंविदा के अनुसरण में बनाया और प्रख्यापित किया गया कोई अध्यादेश, अथवा

(ख) संविधान के अनुच्छेद 385 द्वारा प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में राजप्रमुख द्वारा बनाया गया कोई अधिनियम;

(III) 18 मार्च, 1952 को और उसके बाद से 31 अक्टूबर, 1956 तक की कालावधि के बारे में-

(क) संविधान के अनुच्छेद 238 के साथ पठित अनुच्छेद 213 के अधीन राजप्रमुख द्वारा बनाया और प्रख्यापित किया गया कोई अध्यादेश, अथवा

(ख) राज्य विधान सभा द्वारा पारित और राजप्रमुख या भारत के राष्ट्रपति, जैसा भी स्थिति द्वारा अपेक्षित हो, की अनुमति प्राप्त कोई अधिनियम, तथा

(IV) किसी पश्चात्वर्ती कालावधि के बारे में-

(क) संविधान के उपबन्धों के अधीन और उनके अनुसार राज्यपाल द्वारा बनाया और प्रस्थापित किया गया कोई अध्यादेश, अथवा

(ख) राज्य विधान सभा द्वारा पारित और राज्यपाल या भारत के राष्ट्रपति, जैसा भी स्थिति द्वारा अपेक्षित हो, की अनुमति प्राप्त कोई अधिनियम,
आयेंगे;

(64) "राजस्थान राज्य विधान मण्डल" या "राज्य विधान मण्डल " से अभिप्रेत होगा-

(1) 17 मार्च, 1952 को समाप्त होने वाली कालावधि के बारे में प्रसंविदा के अधीन या संविधान के अनुच्छेद 385 के अधीन कार्यकारी राजप्रमुख;

(2) उक्त दिन के बाद से 31 अक्टूबर, 1956 तक के लिये राजप्रमुख और राज्य विधान सभा; तथा

(3) किसी भी पश्चात्वर्ती कालावधि के बारे में, राज्यपात और राज्य विधान सभा ।

(65) 1 नवम्बर, 1956 से पूर्व की किसी भी कालावधि के बारे में "राजप्रमुख" से अभिप्रेत होगा वह व्यक्ति जो तत्समय राजस्थान का राजप्रमुख है:

(66) "रजिस्ट्रीकृत" का प्रयोग जब किसी दस्तावेज के बारे में किया जाता है तब उससे अभिप्रेत होगा दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण के लिये तत्समय प्रवृत विधि के अधीन भारत में रजिस्ट्रीकृत;

(67) "विनियम" से किसी अधिनियमिति द्वारा प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में बनाया गया कोई विनियम अभिप्रेत होगा और इसके अन्तर्गत तत्समय विधि का बल रखने वाला अकानूनी या अन्य स्वतंत्र विनियम आयेगा;

(67-क) "राजस्व अपीलीय प्राधिकारी" से अभिप्रेत होगा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का राजस्थान अधिनियम 15) की धारा 20-क के अधीन उक्त प्राधिकारी के रूप में नियुक्त अधिकारी;

(68) "नियम" से अभिप्रेत होगा किसी अधिनियमिति द्वारा प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में बनाया गया कोई नियम और इसके अन्तर्गत तत्समय विधि का बल रखने वाला कोई अकानूनी या अन्य स्वतंत्र नियम आयेगा;

(69) किसी भारतीय राज्य के संबंध में "शासक" से अभिप्रेत होगा नरेश, चीफ या ऐसा अन्य व्यक्ति जिसके द्वारा संविधान के धनुच्छेद 291 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट कोई प्रसंविदा या करार किया गया था और जो उस राज्य के शासक के रूप में राष्ट्रपति द्वारा तत्समय मान्यता प्राप्त है, तथा ऐसा कोई भी व्यक्ति इसके अन्तर्गत आता है जो उक्त शासक के उत्तराधिकारी के रूप में राष्ट्रपति द्वारा तत्समय मान्यता प्राप्त है;

(70) "अनुसूची" से अभिप्रेत होगी उस अधिनियमिति की अनुसूची जिसमें यह शब्द आता है;

(71) "धारा" से अभिप्रेत होगी उस अधिनियमिति की धारा जिसमें यह शब्द आता है;

(72) "हस्ताक्षर" के अन्तर्गत उसके व्याकरणिक रूप भेदों और सजातीय अभिव्यक्तियों सहित ऐसे व्यक्ति के प्रति निर्देश से जो अपना नाम लिखने में असमर्थ है, अपने व्याकरणिक रूपभेंदों और सजातीय अभिव्यक्तियों सहित "चिन्ह" आएगा;

(73) "सिरोही" या "सिरोही राज्य" से अभिप्रेत होंगे सिरोही के भूत पूर्व भारतीय राज्य के ऐसे राज्य-क्षेत्र जिनका गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया एक्ट, 1936 की धारा 290-क द्वारा प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में भारत के गवर्नर जनरल द्वारा बनाए गए स्टेट मर्जर (बाम्बे) आर्डर, 1950 के अधीन बम्बई राज्य में विलय नहीं किया था तथा जिनका प्रशासन केन्द्रीय सरकार के राज्य मंत्रालय द्वारा, केन्द्रीय विधान मण्डल के एक्स्ट्रा प्राविन्शियल ज्यूरिस्डिक्शन एक्ट, 1947 की धारा 3 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्ति तथा इस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली समस्त अन्य शक्तियों के प्रयोग में जारी की गई अधिसूचना सं० 20 पी० तारीख 24 जनवरी, 1950 के द्वारा राजस्थान सरकार को प्रत्यायोजित हो जाने पर, 25 जनवरी, 1950 के अपरान्ह में राजस्थान सरकार द्वारा ग्रहण कर लिया तथा सम्भाल लिया गया था;

(74) "पुत्र" के अन्तर्गत किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में जिसकी स्वीय विधि दत्तक ग्रहण अनुज्ञात करती है, दत्तक पुत्र आएगा;

(74-क) "राज्य" का प्रयोग जब राजस्थान के बारे में किया जाता है तब इससे अभिप्रेत होगा राज्य पूनर्गठन अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम 37) की धारा 10 द्वारा निर्मित नवीन राजस्थान राज्य;

(75) "राज्य सरकार" से की गई या की जाने वाली किसी बात के संबंध में, अभिप्रेत होगा:-

(i) संविधान के प्रारंभ की तारीख को तथा उसके बाद से 1 नवम्बर 1956 के प्रारंभ न होने तक, राजप्रमुख, तथा

(ii) 1 नवम्बर, 1956 को तथा उनके बाद से, राज्यपाल।

(76) "राज्य अनुदान" से अभिप्रेत होगा किसी प्रसंविदाकारी राज्य के शासक या सरकार द्वारा भूमि का या उसमें के किसी हित का किया गया अनुदान या जो इस प्रकार के अनुदान के रूप में मान्यता प्राप्त हो, और इसके अन्तर्गत ऐसा प्रत्येक अनुदान अयेंगा, चाहे वह किसी भी नाम से अभिहित हो;

(77) "राज्य अनुदान ग्रहीता" से अभिप्रेत होगा राज्य अनुदान का सत्समय धारक;

(78) "उप-धारा" से अभिप्रेत होगा उस धारा की उप-धारा जिसमें वह भाग आता है;

(78-क) "सुनेल क्षेत्र" से अभिप्रेत होगा 1 नवम्बर, 1956 के ठीक पहले यथाविद्यमान मध्य भारत राज्य के मन्दसौर जिले की मानपुरा तहसील के सुनेल-टप्पा में समाविष्ट राज्य क्षेत्र;

(79) "शपथ लेना" के अन्तर्गत उसके व्याकरणिक रूप भेदों, और सजातीय अभिव्यक्तियों सहित, ऐसे व्यक्तियों की दशा में जो शपथ लेने के स्थान पर प्रतिज्ञान या घोषणा करने के लिये विश्व द्वारा अनुज्ञात है, प्रतिज्ञान करना और घोषणा करना आयेंगे;

(80) "ठिकाना" से अभिप्रेत होगा ठिकाने के रूप में मान्यता प्राप्त राज्य अनुदान;

(81) ×××

(82) "जलयान" के अन्तर्गत कोई नौका या नौ परिवहन में उपयोग में आने वाला अन्य भांति का जलयान आयेगा;

(83) "बिल" के अन्तर्गत कोडपत्र और सम्पत्ति का स्वेच्छया मरणोत्तर व्ययन करने वाला हर लेख आएगा;

(84) "लेखन" के प्रति निर्देश करने वाली अभिव्यक्तियों का ऐसे अर्थ लगाया जायेगा कि उसके अन्तर्गत मुद्रण, शिला मुद्रण, फोटो चित्रण और शब्दों का दृश्य रूप में या रूपण या प्रत्युत्पादन करने के अन्य ढंगों के प्रति निर्देश आते हैं; तथा

(85) "वर्ष" से अभिप्रेत होगा ब्रिटिश कलैण्डर के अनुसार संगणित वर्ष;

(2) प्रत्येक प्रसंविदाकारी राज्य की तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में उसके शासक या सरकार के प्रति निर्देश उस तारीख से ही जिसकी राजप्रमुख ने ऐसे राज्य का प्रशासन ग्रहण किया है, यह अर्थ लगाया जावेगा कि वह राजप्रमुख या, यथास्थिति राजस्थान सरकार के प्रति निदेश हैः

परन्तु किसी प्रसंविदाकारी राज्य के शासक या सरकार के प्रति निदेश का 1 नवम्बर, 1956 को और उनके बाद से यह अर्थ लगाया जायेगा कि वह राज्यपाल या सरकार के प्रति निर्देश है।

सम्पतराज सिंघी,
विधि सचिव ।

---------